



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1408]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 17, 2017/वैशाख 27, 1939

No. 1408]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 17, 2017/VAISAKHA 27, 1939

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 मई, 2017

का.आ. 1595(अ).—खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 43 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में दिनांक 6 दिसंबर, 2016 को प्रकाशित अधिसूचना संख्या का.आ. 3648(अ) में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:-

तालिका में,

- उत्तरी क्षेत्र से संबंधित क्रम संख्या 'क' में, दिल्ली के नीचे, क्रम संख्या 15 के बाद संबंधित कॉलमों में, निम्नलिखित प्रविष्टियाँ की जाएगी, अर्थात्:-

क्रम सं०	प्रयोगशाला का नाम, पंजीकरण संख्या और पता	प्रत्यायन का स्वरूप
(1)	(2)	(3)
"16.	एपेक्स टेस्टिंग एंड रिसर्च लैबोरेटरी, नई दिल्ली पंजीकरण संख्या 45/एन/एफ.एस.एस.ए.आई./2017	रासायनिक जैविक";

- पश्चिमी क्षेत्र से संबंधित क्रम संख्या 'ख' में,

(क) गुजरात के नीचे, क्रम संख्या 7 के बाद, संबंधित कॉलमों में निम्नलिखित प्रविष्टियाँ की जाएगी, अर्थात्-

क्रम सं०	प्रयोगशाला का नाम, पंजीकरण संख्या और पता	प्रत्यायन का स्वरूप
(1)	(2)	(3)
“8	हेमशेल सर्विसिज – टेस्टिंग डिविजन, वडोदरा, गुजरात पंजीकरण संख्या 36/डब्ल्यू/एफ.एस.एस.ए.आई./2017	रासायनिक जैविक”;

(ख) मध्य प्रदेश के नीचे, क्रम संख्या 5 के बाद, संबंधित कॉलमों में निम्नलिखित प्रविष्टियाँ की जाएगी, अर्थात्-

क्रम सं०	प्रयोगशाला का नाम, पंजीकरण संख्या और पता	प्रत्यायन का स्वरूप
(1)	(2)	(3)
“6.	कृष्णा डिजिटल मैटीरियल टेस्टिंग लैबोरेट्री, भोपाल, मध्य प्रदेश पंजीकरण संख्या 37/डब्ल्यू/एफ.एस.एस.ए.आई./2017	रासायनिक”;

(ग) महाराष्ट्र के नीचे, क्रम संख्या 20 के बाद, संबंधित कॉलमों में निम्नलिखित प्रविष्टियाँ की जाएगी, अर्थात्-

क्रम सं०	प्रयोगशाला का नाम, पंजीकरण संख्या और पता	प्रत्यायन का स्वरूप
(1)	(2)	(3)
“21.	विमटा लैब्स लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र पंजीकरण संख्या 38/डब्ल्यू/एफ.एस.एस.ए.आई./2017	रासायनिक जैविक”;

3. दक्षिणी क्षेत्र से संबंधित क्रम संख्या 'ग' में,

क) कर्नाटक के नीचे, क्रम संख्या 11 के बाद, संबंधित कॉलमों में निम्नलिखित प्रविष्टियाँ की जाएगी, अर्थात्-

क्रम सं०	प्रयोगशाला का नाम, पंजीकरण संख्या और पता	प्रत्यायन का स्वरूप
(1)	(2)	(3)
“12.	टी.यू.वी. इंडिया प्रा. लिमिटेड (टी.यू.वी-एन.ओ.आर.डी. ग्रुप) (लैबोरेट्री डिविजन), बंगलूरु पंजीकरण संख्या 48/एस/एफ.एस.एस.ए.आई./2017	रासायनिक जैविक”;

ख) केरल के नीचे, क्रम संख्या 7 के बाद, संबंधित कॉलमों में निम्नलिखित प्रविष्टियाँ की जाएगी, अर्थात्-

क्रम सं०	प्रयोगशाला का नाम, पंजीकरण संख्या और पता	प्रत्यायन का स्वरूप
(1)	(2)	(3)
"8.	जियोकेम लैबोरेट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, अरूर, केरल पंजीकरण संख्या 46/एस/एफ.एस.एस.ए.आई./2017	रासायनिक जैविक"।

[फा. सं. 12012/01/2017-क्यू.ए.]

पवन अग्रवाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में कांआ० 3648(अ), दिनांक 6 दिसंबर, 2016 द्वारा प्रकाशित हुई थी और बाद में उसका निम्नलिखित अधिसूचना द्वारा संशोधन हुआ था:-

(i) कांआ० 567 (अ), दिनांक 20 फरवरी, 2017.

**MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE**  
(FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 15th May, 2017

**S.O. 1595(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 43 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), the Food Safety and Standards Authority of India hereby makes the following amendment in the notification number S.O. number 3648 (E) published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 6th December, 2016, namely:-

In the table,

1. in Sr. No. 'A' related to NORTHERN REGION, under Delhi, after serial number 15, the following entries shall be inserted in respective columns, namely:-

Sr. No.	Name, Regn. Number and Address of the Laboratory	Scope of accreditation
(1)	(2)	(3)
"16.	Apex Testing and Research Laboratory, New Delhi Reg. No. 45/N/FSSAI/2017	Chemical Biological";

2. in Sr. No. 'B' related to WESTERN REGION,

(a) under Gujarat, after serial number 7, the following entries shall be inserted in respective columns, namely:-

Sr. No.	Name, Regn. Number and Address of the Laboratory	Scope of accreditation
(1)	(2)	(3)
"8.	Hemshell Services – Testing Division , Vadodara, Gujarat Reg. No. 36/W/FSSAI/2017	Chemical Biological";

(b) under Madhya Pradesh, after serial number 5, the following entries shall be inserted in respective columns, namely.-

Sr. No.	Name, Regn. Number and Address of the Laboratory	Scope of accreditation
(1)	(2)	(3)
“6.	Krishna Digital Material Testing Laboratory, Bhopal, Madhya Pradesh Reg. No. 37/W/FSSAI/2017	Chemical” ;

(c) under Maharashtra, after serial number 20, the following entries shall be inserted in respective columns, namely.-

Sr. No.	Name, Regn. Number and Address of the Laboratory	Scope of accreditation
(1)	(2)	(3)
“21.	Vimta Labs Limited, Pune, Maharashtra Reg. No. 38/W/FSSAI/2017	Chemical Biological”;

3. in Sr. No. ‘C’ related to SOUTHERN REGION,

(a) under Karnataka, after serial number 11, the following entries shall be inserted in respective column, namely.-

Sr. No.	Name, Regn. Number and Address of the Laboratory	Scope of accreditation
(1)	(2)	(3)
“12.	TUV India Pvt. Limited (TUV-NORD Group) (Laboratory Division), Bangalore Reg. No. 48/S/FSSAI/2017	Chemical Biological”;

b) under Kerala, after serial number 7, the following entries shall be inserted in respective columns, namely.-

Sr. No.	Name, Regn. Number and Address of the Laboratory	Scope of accreditation
(1)	(2)	(3)
“8.	Geochem, Laboratories Pvt. Ltd., Aroor, Kerala Reg. No. 46/S/FSSAI/2017	Chemical Biological”.

[F. No. 12012/01/2017-QA]

PAWAN AGARWAL, Chief Executive Officer

**Note :** The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (ii), vide S.O. number 3648 (E), dated the 6th December, 2016 and subsequently amended vide:-

- (i) S.O. number 567 (E), dated the 20th February, 2017.